संख्या–569जेड/6–सा–1–10–4के0पी0/2010

प्रेषक,

अजेय कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 07 अप्रैल, 2010

विषय : वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययमें प्रथम 06 माह हेतु उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु कुल रूपये 7,92,000/– (रूपये सात लाख बान्नबे हजार मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

लेखा शीर्षक/मद	धनराशि (हजार रूपये में)
अनुदान संख्या–28 2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर– 200–अन्य योजनायें– 04–उ0प्र0 स्व0 सं0 से0 सहायता संस्थान–	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	152
43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	640
योग	**792**

(रूपये सात लाख बान्नबे हजार मात्र)

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी ओदशों के अनुसार किया जोयगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहाँ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भाविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाये।

3— वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से किश्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4— इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या—बी—1—951/दस—2010—231/2010, दिनांक 26.03.2010 में दिये गये निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—28 के लेखा शीर्षक "2251—सचिवालय—सामाजिक सेवायें—आयोजनेत्तर—200—अन्य योजनायें—04—उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पृ0सं0—569(1)जेड/6—सा—1—2010—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदीर) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट—प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन, 15—थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5— निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6— वित्त (आय—व्यय) अनुभाग—1
7— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—12
8— आहरण एवं वितरण अधिकारी।
9— बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

5/4/2010